International Journal of Applied Research 2022; 8(6): 21-24

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2022; 8(6): 21-24
www.allresearchjournal.com
Received: 16-02-2022
Accepted: 15-05-2022

प्रेम परिहार
सहायक आचार्य, ईएएफएम, राजकीय बांगड स्नातकोत्तर महाविद्यालय डीडवाना, नागौर, राजस्थान, भारत

Corresponding Author:
प्रेम परिहार
सहायक आचार्य, ईएएफएम, राजकीय बांगड स्नातकोत्तर महाविद्यालय डीडवाना, नागौर, राजस्थान, भारत

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रासंगिकता

प्रेम परिहार

सारांश
भारत में भी जुलाई 1991 के बाद से ही आर्थिक सुधारों को अपनाया गया। जिसमें भू–मण्डलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों को बढ़ावा दिया गया। भारत जैसे विकासशील देश के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हमेशा गम्भीर मुद्दा रहा है। यह दो प्रकार का होता है– प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को रोजगार एवं आय स्तर में वृद्धि का एक सशक्त माध्यम के रूप में देखा गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रमुख रूप से लोहा, अशोधित तेल, मैगनीज, तांबा एवं विद्युत शक्ति के निष्कासन में संकेंद्रित रहा है। विनिमय एवं वितरण के क्षेत्र में इसका बहुत कम योगदान रहा है। वर्ष 2018–19 में भारत में सिंगापुर, मॉरिशस, जापान, नीदरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, साइप्रस, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस जैसे देश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने में अग्रणी रहे। वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 2019 में विश्व के देशों में 9वें स्थान पर रहा। संयुक्त राष्ट्र के व्यापार एवं विकास सम्मेलन की विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में भारत ने 51 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया जबकि वर्ष 2018 में यह मात्र 42 अरब डॉलर ही था। विकासशील एशिया क्षेत्र में भारत सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाले शीर्ष पाँच देशों में शामिल है।

कूटशब्दः प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, आवश्यकता, प्रवृति, प्रभाव

प्रस्तावना
कोई भी देश अपने आप में सम्पूर्ण नहीं होता। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसे दूसरे देशों के साथ साझेदारी करनी ही पड़ती है। यदि कोई देश अपने तक ही सीमित रहे तो उसके आर्थिक विकास की गति धीमी हो जाती है। वर्तमान में विकासीत देश हो या विकासशील देश हो या चाहे तीसरी दुनिया के देश हो सभी को आर्थिक विकास के लिए अधिक से अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है। कम पूँजी के कारण इनमें निवेश दर भी कम होती है जिसके फलस्वरूप रोजगार, आय स्तर एवं उत्पादन वृद्धि का स्तर भी कम ही रहता है। इसके कारण विकास दर भी कम रहती है। पूँजी की इस कमी को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से विदेशी पूँजी के रूप में कर सकते हैं। भारत में भी जुलाई 1991 के बाद से ही आर्थिक सुधारों को अपनाया गया। जिसमें भू–मण्डलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों को बढ़ावा दिया गया। भारत जैसे विकासशील देश के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हमेशा गम्भीर मुद्दा रहा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को रोजगार एवं आय स्तर में वृद्धि का एक सशक्त माध्यम के रूप में देखा गया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रमुख रूप से लोहा, अशोधित तेल, मैगनीज, तांबा एवं विद्युत शक्ति के निष्कासन में संकेंद्रित रहा है। विनिमय एवं वितरण के क्षेत्र में इसका बहुत कम योगदान रहा है।

उद्देश्य
1. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को जानना।
2. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवश्यकता के कारणों को जानना एवं समझना।
3. इसका सामाजिक–आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को जानना।
4. इसकी प्रवृति को जानना।
5. इसके दुष्प्रभावों को जानना।

शोध प्रविधि
प्रस्तुत शोध–पत्र विवरणात्मक शोध विधि से लिखा गया है। शोध–पत्र लिखने में द्वितियक स्रोतों का प्रयोग किया गया है। तथ्यों का संकलन विभिन्न पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, पुस्तकों एवं वेबसाइट्स के माध्यम से किया गया है। अध्ययन को प्रस्तुत करने के लिए तालिका का निर्माण कर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की कमी–वृद्धि को बताया गया है ताकि तथ्यों को आसानी से समझा जा सके।

शोध समीक्षा

महंत देवजीत 2012 ने अपने शोध–पत्र इम्पैक्ट ऑफ फोरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑन इण्डिया इकोनॉमी में बताया है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत के लिए बहुत ही आवश्यक है। इससे लघु और दीर्घकालीन योजनाओं में आसानी से निवेश किया जा सकता है। अनुसंधान, विकास और शिक्षा क्षेत्र में भी इसका बड़ा योगदान रहा है। सरकार को इस तरह की नीति बनानी चाहिए कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अन्तर्वाह का प्रयोग घरेलू उत्पादन, बचत और निर्यात विकास में किया जा सके। राज्यों को भी स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि वे अपनी आवश्यकता अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित कर सके।

व्यास अभिषेक विजयकुमार 2015 ने अपने शोध–पत्र एन एनालिटिकल स्टडी ऑफ एफडीआई इन इण्डिया (2000–2015) में बताया है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से सतत् आर्थिक विकास दर, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और मौजूदा विनिर्माण उद्योगों का विस्तार किया जा सकता है। इससे उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिली है। सेवा क्षेत्र में विशेष रूप से रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। कुशल कामगारों के कारण बैंकिंग और बीमा क्षेत्र का विकास हुआ है।

डॉ. सिंह मनोज 2018 ने शोध–पत्र भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशः नीतियाँ एवं प्रगति में लिखा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का कुछ राज्यों के कुछ जिलों में हुआ है जो कि ज्यादातर शहरी इलाके है। इससे असमानता को बढ़ावा मिलता है और क्षेत्रीय असंतुलन भी होता है। इससे सभी राज्यों की गरीबी नहीं घट सकती।

त्रिवेदी चक्रपाणि और डॉ. दुबे गिरीश मोहन 2019 ने अपने लेख भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्थिति में बताया है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवश्यकता अधिक है। निवेश के उच्च स्तर को बनाए रखने, तकनीकी अंतराल को कम करने, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने, आधारभूत आर्थिक ढ़ाँचे का विकास करने जैसे कई कारण है जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को जरूरी बनाते हैं। शोध–पत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के निर्धारक तत्वों के बारे में बताया है। जिसमें स्थिर नीतियाँ, आर्थिक कारक, बुनियादी ढ़ाँचा, अस्पष्टीकृत बाजार और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के बारे में जानकारी दी है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की परिभाषा

भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों या कम्पनियों द्वारा भारत में किए गए निवेश को विदेशी निवेश की श्रेणी में शामिल किया जाता है। यह दो प्रकार का होता है– प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों या कम्पनियों द्वारा गैर–सूचीबद्ध या सूचीबद्ध भारतीय कम्पनियों में जब 10 प्रतिशत तक या उससे अधिक पूँजीगत निवेश या हिस्सेदारी खरीदी जाती है तो इसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नाम से जाना जाता है। प्रायः प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से निवेशकों को दूसरे देश की उस कम्पनी के प्रबंध में हिस्सा सहित मताधिकार भी हासिल हो जाता है जिसमें वह कम्पनी निवेश करती है। जबकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में यह निवेश 10 प्रतिशत से कम होता है। यह एक समूह या देश द्वारा किसी अन्य देश के व्यवसाय या निगम में स्थायी हितों को स्थापित करना होता है। यह आर्थिक विकास का वाहक होता है और यह एक तरह से गैर ऋण वित्त का प्रमुख स्रोतों में से एक है। इससे देश में नई पूँजी आती है जो प्रौद्योगिकी और रोजगार के अवसरों को बढ़ाती है। इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बहुराष्ट्रीय निगमों, अन्य विदेशी कम्पनियों एवं प्रवासी भारतीयों के निवेश शामिल किए जाते हैं।

वर्ष 1988–89 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएँ की गई जिनमें विद्युत उत्पादन एवं वितरण, सड़क, विमानन एवं बंदरगाहों में 100 प्रतिशत समता भागीदारी की अनुमति दी गई। उपग्रह के माध्यम से सार्वभौम चल व्यक्ति संचार सेवाएँ उपलब्ध करने वाली कम्पनियों को लाइसेंस की शर्त पर 49 प्रतिशत तक की अनुमति प्रदान की गई। साथ ही अनिवासी भारतीयों एवं समुद्रपारीय नियमित निकायों को असूचीबद्ध कम्पनियों में निवेश की अनुमति प्रदान की गई। 1991 में सरकार द्वारा उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों को 51 प्रतिशत विदेशी समता की अनुमति दी गई जो बाद में 74 प्रतिशत तक होते हुए कुछ क्षेत्रों में 100 प्रतिशत विदेशी समता तक हो गई। 1991 से पहले तक की नीति होटल व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य सेवा क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा नही दिया गया था। 1991 की औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद से ही सही मायने में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला है। दिसम्बर 1999 में बीमा नियामक एवं विकास अधिनियम बीमा क्षेत्र में निजी भागीदारी को प्रोत्सहित करने के लिए लागू किया गया। इसके माध्यम से बीमा कम्पनियाँ अपनी चुकता पूँजी के 26 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आमंत्रित कर सकती थी। वर्ष 2000–01 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए कई घोषणाएँ की गई। 2004–09 की अवधि में स्र्वड फ्रोम इण्डिया योजना चलाई गई।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति 31 मार्च 2008 के अनुसार वे क्षेत्र जिनमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है वे हैं–फुटकर व्यापार (एकल ब्राण्ड उत्पाद खुदरा बिक्री को छोड़कर), परमाणु ऊर्जा, लॉटरी व्यापार, सट्टा बाजार और जुआ, चिट फण्ड व्यापार, सिगरेट, सिगार एवं तम्बाकू के उत्पाद, कृषि और वृक्षारोपण गतिविधियाँ जिनमें मत्स्य पालन, बागवानी, चाय बागान और पशुपालन को शामिल नहीं किया जाता है, निधि कम्पनी, ट्रांसफरेबल डेवलेपमेंट राइट्स व्यापार और वे क्षेत्र जो निजी क्षेत्र के निवेश के लिए खुले नहीं है। साथ ही कुछ ऐसे क्षेत्र भी निर्धारित किए हैं जिनमें निवेश के लिए सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता है वे हैं जहाँ प्रेस नोट 1 (2005 श्रृंखला) के प्रावधान लगे हो और जहाँ 24 प्रतिशत से अधिक विदेशी पूँजी उन वस्तुओं के उत्पादन के लिए लगाई जानी है जो लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित किए गए हैं। परन्तु कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है जो इस प्रकार है– एयरपोर्ट (ग्रीन फील्ड एवं ब्राउनफील्ड), आटोमोबाइलस्, आटोकम्पोनेन्ट्स, बायोटेक्नोलॉजी ग्रीनफील्ड, ब्रोडकॉस्टिंग कैरिज सर्विस, कैपिटल गुड्स, रसायन, कोयला एवं लिगनाइट, अस्पताल निर्माण, ई–कॉमर्स गतिविधियाँ, थर्मल पॉवर, टैक्सटाइल्स् एवं परिधान आदि। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए विदेशी मुद्रा नियमन कानून फेरा– 1973 को समाप्त कर उसके स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1 जून 2000 को लागू किया गया है जो कि पहले के कानून की अपेक्षा अधिक उदार है। साथ ही मनी लांड्रिंग प्रिवेंशन विधेयक 2011 में भी आवश्यक संशोधन किया गया है। ताकि यह अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बन सके और काले धन के दुरूपयोग पर रोक लगाई जा सके। देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाने, विदेशी निवेशकों को विभिन्न सूचनाएँ एवं जानकारियाँ प्रदान करने के लिए सरकारी एवं निजी क्षेत्र की एक संयुक्त कम्पनी की स्थापना इन्वेस्ट इण्डिया के नाम से की गई। इस कम्पनी में सरकार के साथ उद्योग संगठन फिक्की को भी भागीदार बनाया गया है। यह नई कम्पनी तीन कामों को प्राथमिकता देगी जिसमें देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, विदेशी निवेशकों को प्रक्रियागत सुविधाएँ प्रदान करना व विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय स्थापित करना और औद्योगिक नीति पर सरकार को फीडबैक प्रदान करना है। विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड का 18 फरवरी 2003 को पुनर्गठन किया गया और इसे वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग को हस्तांतरित किया गया। यह विभाग प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर सरकार की कार्य नीति को अमल में लाने के लिए सचिवालय के रूप में काम करता है।

देश में अप्रैल 2000 से दिसम्बर 2012 तक क्रमशः मॉरिशस, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, जापान, यू.एस.ए., नीदरलैण्ड्स, साइप्रस, जर्मनी, फ्रांस और यू. ए. ई. शीर्ष 10 देशों में शामिल होते हैं। वहीं वर्ष 2018–19 में सिंगापुर, मॉरिशस, जापान, नीदरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, साइप्रस, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस जैसे देश अग्रणी रहे। करारोपण के मामले में उदार नीति के कारण मॉरीशस को टैक्स हैवन कहा जाता है और इसी कारण भारत में निवेश के इच्छुक अधिकांश विदेशी निवेशक वाया मॉरिशस निवेश करते हैं। सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदमों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

तालिका 1: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

वर्ष	राशि करोड़ डॉलर में	वर्ष	राशि करोड़ डॉलर में
1991–92	16.7	2006–07	––
1992–93	39.3	2007–08	348
1993–94	65.4	2008–09	419
1994–95	137.4	2009–10	377
1995–96	214.1	2010–11	348
1996–97	277.0	2011–12	468
1997–98	368.2	2012–13	224.2
1998–99	308.3	2013–14	360.5
1999–2000	243.9	2014–15	451.5
2000–2001	290.8	2015–16	554.6
2001–02	422.4	2016–17	600.8
2002–03	313.4	2017–18	448.5
2003–04	263.4	2018–19	443.7
2004–05	375.5	2019–20	734.6
2005–06	554.9	2020–21	357.3 (प्रथम पाँच माह तक)

स्रोतः प्रतियोगिता दर्पण

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हो रही है। देश में 2012–13 में विदेशी निवेश में कमी आई इसके बाद से इसमें वृद्धि की प्रवृति देखने को मिलती है। वर्ष 2019–20 में भी सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिल रही है। 2020 में उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना बनी जो कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करती है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए पर्याप्त प्रयास करने के बाद भी इसमें वांछित प्रगति नहीं हुई। इसके कई कारण इस प्रकार है–

1. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में अनुमोदन के मुकाबले कम निवेश प्राप्त हुआ।
2. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रयोग अधिग्रहण और विलयन के लिए ही किया गया न की पूँजी निर्माण के लिए।
3. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रयोग मात्र उच्च श्रेणी के उपभोक्ताओं के उत्पादों के लिए ही किया गया।
4. कुछ बड़े क्षेत्रों में ही निवेश से क्षेत्रीय असंतुलन का विकास हुआ।
5. बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर निर्भर रहने से भुगतान संतुलन की समस्या पैदा हो रही है।
6. कम विकास दर के कारण अर्थव्यवस्था भी संकटग्रस्त हो जाती है।
7. विस्तारवादी नीतियों का दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से हानियाँ

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हमेशा ही लाभकारी नहीं होता है। इससे घरेलू उद्योगों को नुकसान होता है। उदार नीतियों का देश को लाभ नहीं होता है। विदेशी अपने हितों की ही अधिक रक्षा करते हैं। वे देश की नीतियों, पर्यावरण संरक्षण कानूनों, शासन और समाज के नियमों की अवहेलना करते है। कई देशी कम्पनियाँ इनके प्रभाव में आकर अपना अस्तित्व ही खों देती है। अधूरे फ्लाई ओवर, सड़के देश की छवि को खराब करते हैं। वालमार्ट और केसको जैसी कम्पनियों का जब अमेरिका जैसा विकसित देश विरोध कर रहा हो तो भारत को भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में सावधानी अपनाने की आवश्यकता है। खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भी व्यापारियों द्वारा विरोध किया गया।

भारत के आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अहम भूमिका रही है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह लगाातार बढ़ता ही जा रहा है। भारत सकल घरेलू उत्पाद का यदि 3–4 प्रतिशत की वृद्धि करता है तो 2025 तक देश में 120–160 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकता है। जिससे देश के सकल घरेलू उत्पाद की दर में वृद्धि 7–8 प्रतिशत तक हो सकती है। वर्तमान में यह 6.8 प्रतिशत ही है जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अनुपात 1.8 प्रतिशत ही है। देश के शीर्ष 10 राज्य ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 97 प्रतिशत उपभोग करते है। जिसमें प्रमुख चार राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली और गुजरात हैं। क्षेत्रों के हिसाब से सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रयोग किया गया। इसके अलावा ऑटोमोबाइल, विनिर्माण, रसायन, दवाओं जैसे उच्च कौशल विनिर्माण क्षेत्रों में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 89 प्रतिशत हिस्सा रहा है। देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में आवश्यक संशोधन भी समय –समय पर किए जाते रहे है जो मेक इन इण्डिया और आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को समर्थन करते है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के हिसाब से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का पसंदीदा देश रहा है। देश में डिजिटल इण्डिया की मुहिम का सफल संचालन दूर संचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने से ही हुआ है। आज उपभोक्ताओं को सस्ता डाटा, इंटरनेट और मोबाइल मिल रहा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कारण ही मानव संसाधन का कौशल एवं तकनीकी विकास होता है। सरकार पर आर्थिक बोझ कम होता है और राजस्व कर प्राप्ति भी होती है। बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा होने से उपभोक्ताओं को अच्छी एवं श्रेष्ठ श्रेणी की वस्तुओं की प्राप्ति होती है।

कोविड–19 महामारी, वैक्सिनेशन रोल आउट प्रोग्राम की गति, आर्थिक सहायता पैकेज, विदेश नीति के संदर्भ में विश्व के अन्य देशों की नीतियों से इस समय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या और कितना प्रभावित होगा यह भविष्य के गर्त में है। 2020 में भी विकसित देशों के विकास स्तर प्रभावित हुआ है। विदेशी व्यापार नीति 2015–20 में भी कुछ संशोधनों के साथ विस्तार किया गया है जो 31 मार्च 2021 तक प्रभावी रहेगी। ट्रेड एवं डवलेपमेंट पर मार्च 2021 में

आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ की कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कोविड–19 महामारी के कारण 5 से 15 प्रतिशत तक की गिरावट हो सकती है जो कि 2008–09 के वित्तीय संकट के बाद सबसे कम होगा। वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 2019 में विश्व के देशों में 9वें स्थान पर रहा। संयुक्त राष्ट्र के व्यापार एवं विकास सम्मेलन की विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में भारत ने 51 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया जबकि वर्ष 2018 में यह मात्र लगभग 42 अरब डॉलर ही था। विकासशील एशिया क्षेत्र में भारत सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाले शीर्ष पाँच देशों में शामिल है। अंकटाड की रिपोर्ट जून 2021 के अनुसार भारत में 2020 में 64 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अन्तर्वाह रहा जो कि 2019 के 51 अरब डॉलर से 25 प्रतिशत अधिक रहा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अन्तर्वाह में देश का विश्व में 5वां स्थान रहा है। वर्ष 2021 की इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बाह्य प्रवाह में देश 18वां स्थान रहा है यानि देश में अंतर्वाह अधिक रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी निवेश से जुड़े नीतिगत सुधारों, निवेश को सुविधाजनक बनाने और कारोबार करने की आसान शर्तों के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है।

संदर्भ

1. व्यास अभिषेक विजयकुमार, एन एनालिटिकल स्टडी ऑफ एफडीआई इन इण्डिया (2000–2015), इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक एण्ड रिसर्च पब्लिकेशन, वॉल्यूम 5, इश्यू 10, अक्टूबर 2015, पृष्ठ संख्या 1–30
2. महंत देवजीत, इम्पैक्ट ऑफ फोरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑन इण्डिया इकोनॉमी, रिसर्च जर्नल ऑफ मैनेजमेंट साइंस, वोल्यूम 1(2), सितम्बर 2012, पृष्ठ संख्या 29–31
3. त्रिवेदी चक्रपाणि और डॉ. दुबे गिरीश मोहन, रिव्यू ऑफ रिसर्च, वॉल्यूम 8, इश्यू 7, अप्रैल 2019, पृष्ठ संख्या 1–8
4. डॉ. सिंह मनोज, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशःनीतियाँ एवं प्रगति, आईजेसीआरटी, वॉल्यूम 6, इश्यू 1, अप्रैल 2018, पृष्ठ संख्या 1470–1473
5. उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार, संशोधित एफडीआई पॉलिसी, 15 अक्टूबर 2020
6. उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य सभा, अतारांकित प्रश्न संख्या 4182
7. भारतीय अर्थव्यवस्था 2007, प्रतियोगिता दर्पण, उपकार प्रकाशन, पृष्ठ संख्या 184–186
8. समसामयिक वार्षिकी 2010, प्रतियोगिता दर्पण, उपकार प्रकाशन, पृष्ठ संख्या 200
9. भारतीय अर्थव्यवस्था 2013, प्रतियोगिता दर्पण, उपकार प्रकाशन, पृष्ठ संख्या 220–224
10. प्रतियोगिता दर्पण, उपकार प्रकाशन, अगस्त 2021 पृष्ठ संख्या 25–26
11. प्रतियोगिता दर्पण, उपकार प्रकाशन, जुलाई 2021 पृष्ठ संख्या 21